हरिजन मंगरी सिद्दाक्का और अन्य

बनाम

ओरियन्टल बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य

(दीवानी अपील सं. 4437/2008)

16 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्ति]

श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923- धारा 30(1)- ट्रेक्टर के ट्रेलर में मिट्टी की लोडिंग-खदान से भारी मात्रा में मिट्टी ढह गई-जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की मृत्यु हो गई-क्षतिपूर्ति के लिए दावा-अभिनिर्धारितः दावदारों को यह दिखाना आवश्यक है कि दुर्घटना के समय मोटर वाहन का उपयोग किया गया था तथा श्रमिकों की मृत्यु और वाहन के उपयोग के बीच आकस्मिक संबंध था- तथ्यों पर, क्योंकि तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय को मामला नए सिरे से निपटने के लिए प्रेषित किया गया।

अपीलाथियों ने जान गवाने वाले कुछ श्रमिकों के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा के लिए दावा याचिका पेश की। अपीलार्थियों के अनुसार मृतकगण ट्रेक्टस ट्रेलर में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे और जब ट्रेलर खदान से मिट्टी लाद रहा था तो खदान से भारी मात्रा में मिट्टी गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक की मृत्यु हो गई। श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि दुर्घटना मृत व्यक्तियों के नियोजन के अनुक्रम के दौरान हुई थी और क्योंकि वाहन का प्रयोग भार (लोडिंग) के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था, इसलिए बीमा कम्पनी, जिसके साथ वाहन का बीमा किया गया था, पारित अधिनिर्णय की क्षतिपूर्ति के लिए उत्त्रदायी थी। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 30 (1) के तहत अपील पर, उच्च न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि जहां वाहन का कोई वास्तविक उपयोग नहीं था और इसलिए श्रमिकों की मृत्यु और वाहन के उपयोग के बीच कोई आकस्मिक संबंध नहीं था। अतः अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले कों उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

इस तथ्यात्मक परिदृश्य पर वास्तव में कोई चर्चा नहीं हुई है कि क्या मृत्यु और वाहन के प्रयोग के बीच कोई संबंध था। यह प्रत्येक मामलें में तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा और उसका कोई सीधा सूत्र या नियम लागू नहीं किया जा सकता है। अधिनियम में "प्रयोग" वाक्यांश "मोटर वाहन के उपयोग के संदर्भ में है। मोटर वाहन का उपयोग हुआ या नहीं, इसका तथ्यात्मक विश्लेषण किये जाना चाहिए। चुंकि इस ममालें में तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए मामलें को नए सिरे से निपटाना यथोचित होगा। {पैरा 4-5} {1101-एफ,जी,एच, 1102-ए}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2008 का 4437

कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा बैंगलोर के एम.एफ.ए.सं. 487/2004 (डब्ल्यू.सी) सी/डब्ल्यू एम.एफ.ए.सं. 483/2004 (डब्ल्यू.सी) में निर्णय और अन्तिम आदेश दिनांक 16.11.2005

किरण सूरी, अपीलार्थीगण की ओर से।

एस.एन. भट्ट, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

इस न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. **अरिजीत पसायत, जे.** के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत की गई।

2. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1928 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 30(1) के तहत प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय को चुनौती दी गई। अपीलार्थियों ने जान गवाने वाले कुछ व्यक्तियों के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए दावा याचिका दायर की। अपीलार्थियों के अनुसार मृतकगण ट्रेक्टर और ट्रेलर के संयोजन में श्रमिक/मजदूर के रूप कार्यरत थे, जो कि बीमा की विषयवस्तु थी। जब ट्रेलर में खदान से मिट्टी भरी जा रही थी, तो खदान में से भारी मात्रा में मिट्टी गिर गई, जिससे मजदूरों की दबकर मृत्यु हो गई। श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त (संक्षिप्त में 'आयुक्त) ने यह अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना मृत व्यक्तियों के नियोजन के अनुक्रम के दौरान हुई थी और क्योंकि वाहन का प्रयोग भार (लोडिंग) के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था, इसलिए बीमा कम्पनी, जिसके साथ वाहन का बीमा किया गया था, पारित अधिनिर्णय की क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी थी। बीमाकर्ता ने अधिनिर्णित की शुद्धता को यह आधार लेते हुए चुनौती दी कि बीमाकर्ता का दायित्व वाहन के प्रयोग से आयी शारीरिक चोट के कारण हुई मृत्यु होने पर उत्पन्न होता है और वर्तमान मामलें में स्वीकृत परिस्थितियों से यह संकेत है कि वाहन के उपयोग और मृत्यु के वास्तविक कारण के बीच कोई निकटतम संबंध नहीं था, जिसे आयुक्त द्वारा नजरअंदाज किया गया। अपीलार्थी का यह आधार था कि बीमाकर्ता यह प्रस्तुत करने में सही नहीं है कि दुर्घटना के समय वहां वाहन का कोई प्रयोग नहीं था। यह अंकित किया गया था कि यद्यपि मृत्यु वाहन से दूर एक स्थान पर हुई थी या यह तथ्य कि खदान से ट्रेलर पर भरी जा रही मिट्टी ने श्रमिकों की जान ले ली थी, महत्वहीन है, क्योंकि बीमा की पाॅलिसी का उद्देश्य वाहन में कार्यरत श्रमिकों की जोखिम को कवर करना है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि वाहन का कोई वास्तविक

प्रयोग नहीं था और इसलिए वाहन के प्रयोग और मृत्यु के कारण के बीच कोई आकस्मिक संबंध भी नहीं था।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि जिससे यह माना जा सके कि वाहन के प्रयोग व मृत्यु के कारण के बीच कोई संबंध था। उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया गया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किये गये विचार को स्वीकार नहीं किया गया था।

4. हमने यह पाया कि इस तथ्यात्मक परिदृश्य पर वास्तव में कोई चर्चा नहीं हुई है कि क्या मृत्यु और वाहन के प्रयोग के बीच कोई संबंध था। यह प्रत्येक मामलें में तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा और उसका कोई सीधा सूत्र या नियम लागू नहीं किया जा सकता है।

5. अधिनियम में ''प्रयोग'' वाक्यांश ''मोटर वाहन के उपयोग के संदर्भ में है। मोटर वाहन का उपयोग हुआ या नहीं, इसका तथ्यात्मक विश्लेषण किये जाना चाहिए। चुंकि इस ममालें में तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए मामलें को नए सिरे से निपटाना यथोचित होगा। तदानुसार हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते है और मामलें को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते है।

6. हम यह स्पष्ट करते है कि हमने मामले के गुणावगुणों पर कोई मत अभिव्यक्त नहीं किये है। उपरोक्त विस्तार तक अपील की अनुमति दी है। खर्चा नहीं।

बी.बी.बी. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रमोद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।